(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 28/2018 - एकीकृत कर (दर)

नई दिल्ली,
दिनांक 31 दिसम्बर, 2018

सा.का.नि.........(अ) – केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप धारा (5) और धारा 16 की उप धारा (1) के साथ पठित एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप धारा (1), धारा 6 की उप धारा (1) और धारा 20 के उप वाक्य (iii) और उपवाक्य (iv) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर तथा इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 8/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 683 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप-खड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

1. उक्त अधिसूचना में, -

(i) सारणी में, -

(क) क्रम संख्या 3 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (xii) में कोष्ठक, अंक और शब्द "उपर्युक्त (xi)" के पश्चात शब्द और संख्या "और क्रम संख्या 38, नीचे" को अंत:स्थापित किया जाएगा;

(ख) क्रम संख्या 7 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (i) में, स्पष्टीकरण 1 में, शब्द "स्कूल, कालेज" को विलोपित किया जाएगा;

(ग) क्रम संख्या 8 के समक्ष,-

(क) कॉलम (3) में मद (iv) के पश्चात और कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा: -

(3)	(4)	(5)
"(ivक) हवाई यात्रा से, गैर अनुसूचित वायु परिवहन सेवा या चार्टर आपरेशन, जो कि किसी विशेष संगठन के द्वारा द्विपक्षीय करार के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा धार्मिक यात्रा के बारे में प्रदान की जाने वाली सुविधा के संबंध में लगाए गए हों, के द्वारा यात्रियों का परिवहन, चाहे यात्रियों के पास सामान हो या नहीं ।	5	बशर्ते सेवा की पूर्ती करने में प्रयुक्त माल पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है । [कृपया स्पष्टीकरण से संबंधित पैराग्राफ 5 के उपवाक्य (iv) को देखें]

(ख) कॉलम (3) में, मद (vii) में कोष्ठक और अंक "(iv),", के पश्चात कोष्ठक और अंक "(ivक)," को अंत:स्थापित किया जाएगा;

(घ) क्रम संख्या 15 के समक्ष कॉलम (3) के मद (vi) और कॉलम (3), (4) और (5), में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

(3)	(4)	(5)
"(vi) गुड्स कैरिज के तीसरे पक्ष का बीमा संबंधी सेवा ।	12	-
(vii) उपर्युक्त (i), (ii), (iii), (iv), (v),	18	-";

और (vi) से भिन्न वित्तीय और अन्य संबंधित सेवाएं ।		

(ङ) क्रम संख्या 17 के समक्ष कॉलम (3) के मद (viii) और कॉलम (3), (4) और (5), में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

(3)	(4)	(5)
"(viiक) वस्तुओं को पट्टे पर या किराए पर देना	एकीकृत कर की दर वही होगी जो कि इसी तरह की वस्तुओं जिसमें माल के हक का अंतरण भी शामिल है, की आपूर्ति पर लगता हो ।	-
(viii) उपर्युक्त (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii) और (viiक) से भिन्न पट्टे पर और पट्टे पर दी जाने वाली सेवाएं चाहे आपरेटर साथ में हो या नहीं ।	18	-";

(च) क्रम संख्या 21 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (ii) में कोष्ठक, अंक और शब्द "उपर्युक्त (i)" के पश्चात शब्द और संख्या "और क्रम संख्या 38, नीचे" को अंत:स्थापित किया जाएगा;

(छ) क्रम संख्या 25 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (ii) में कोष्ठक, अंक और शब्द "उपर्युक्त (i)" के पश्चात शब्द और संख्या "और क्रम संख्या 38, नीचे" को अंत:स्थापित किया जाएगा;

(ज) क्रम संख्या 34 के समक्ष, -

(क) कॉलम (3) में मद (ii) के समक्ष, कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "12" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) कॉलम (3) में मद (ii) और कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
"(iiक) किसी सिनेमेटोग्राफ फिल्मस के प्रदर्शन में प्रवेश के रूप में दी जाने वाली सेवा, जिसमें प्रवेश टिकट का मूल्य एक सौ रुपए से अधिक हो	18	-";

(ग) मद (iiiक), में "सिनेमेटोग्राफ फिल्म का प्रदर्शन" शब्दों को विलोपित कर दिया जाएगा;

(घ) कॉलम (3) में, मद (vi) में कोष्ठक और अंक "(ii)" के पश्चात कोष्ठक और अंक "(iiक)" को अंत:स्थापित किया जाएगा;

(झ) कॉलम (1) की क्रम संख्या 37 और कॉलम (2), (3), (4) और (5) में दी गई उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"38.	9954 या 9983 या 9987	किसी निर्माण कार्य या इंजीनियरिंग या संस्थापना या अन्य तकनीकी सेवाओं के रूप में दी गई सेवा, जो कि निम्नलिखित की संस्थापना के बारे में दी गई हो - (क) बायो गैस प्लांट (ख) सौर ऊर्जा आधारित उपक्रम	18	-";

		(ग) सौर ऊर्जा उत्पादक प्रणाली (घ) विंड मिल्स, विंड ऑपरेटेड इलैक्ट्रीसिटी जनरेटर (डब्ल्यूओ ईजी) (ङ) ऊर्जा संयत्रों/उपक्रमों को कचरे (च) समुंद्री तरंगें, ज्वारीय तरंग ऊर्जा उपक्रम/संयत्र *स्पष्टीकरणः*- इस प्रविष्टि को अधिसूचना संख्या 1/2017- एकीकृत कर (दर) तारीख 28 जून, 2017 की अनुसूची I, क्र. सं. 234 के साथ पढ़ा जाएगा, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 666(अ) तारीख 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया है ।		

(ii) पैराग्राफ 5 में उपवाक्य (x) के पश्चात निम्नलिखित उपवाक्य को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा: -

"(xi) "विशेष संगठन" से अभिप्राय , -

(i) कुमायूं मंडल विकास निगम लि., उत्तराखंड सरकार का प्रतिष्ठान; या

(ii) 'समिति' या 'राज्य समिति', हज समिति अधिनियम, 2002 (2002 का 35) की धारा 2 में यथा परिभाषित, से है ।

(xii) "गुड्स कैरिज" का अभिप्राय वही होगा जो इसके लिए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के उप वाक्य (14) में दिया गया हो।" ।

2. यह अधिसूचना 01 जनवरी, 2019 से लागू होगी ।

[फाइल संख्या 354/428/2018-टीआरयू]

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट:- प्रधान अधिसूचना संख्या 8/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 683 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 14/2018-एकीकृत कर (दर), दिनांक 26 जुलाई, 2018, सा.का.नि. 682 (अ), दिनांक 26 जुलाई, 2018 के तहत, के द्वारा संशोधन किया गया है ।